भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1875

सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में लोगों को कुशल बनाने हेतु कार्यक्रम

†1875. श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः

डॉ. एम.के. विष्णु प्रसादः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि आतिथ्य क्षेत्र की सफलता कुशल जनशक्ति पर निर्भर करती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों, विशेषकर तमिलनाडु में पर्यटन क्षेत्र में लोगों को कुशल बनाने के लिए अनुकूलित कार्यक्रम शुरू करने के लिए क्या पहल की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी, हां महोदय । आतिथ्य उद्योग की सफलता के लिए कुशल जनशक्ति प्रमुख कारकों में से एक है ।

(ख) : तमिलनाडु राज्य सहित देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे आतिथ्य शिक्षा संबंधी कौशल कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय की एक नियमित और सतत पहल है । तमिलनाडु राज्य में प्रशिक्षित/प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या का विवरण अनुबंध में दिया गया है । पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) से संबद्ध संस्थानों द्वारा आतिथ्य शिक्षा प्रदान की जाती है । इसके 93 शैक्षणिक केन्द्र हैं जिनके माध्यम से यह अंडर ग्रेजुएट (यूजी), पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी), डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम जैसे 11 नियमित पाठ्यक्रम चलाता है । भारतीय कलीनरी संस्थान द्वारा तिरूपति और नोएडा में 2 यूजी तथा पीजी पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त भारतीय पयर्टन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) (5 केंद्र) नामक एक अन्य संस्थान यात्रा एवं पर्यटन शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है । यह संस्थान पर्यटन एवं यात्रा उद्योग के लिए विशिष्टीकृत प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है । वर्तमान में यह अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों सहित दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए (पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) और तीन वर्षीय पूर्णकालिक बीबीए (पर्यटन एवं यात्रा) कार्यक्रम की पेशकश करता है । इसके अतिरिक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स (एनआईडब्ल्यूएस), गोवा, जिसे आईआईटीटीएम में शामिल किया गया है, भी शिक्षा/प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श का कार्य करता है । यह संस्थान विंड सर्फिंग, सेलिंग, वाटर स्कीइंग, कायाकिंग आदि जैसे कुछ कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी चलाता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक स्तर पर पर्यटन सेवाप्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए ''सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण'' (सीबीएसपी) योजना के अंतर्गत असंगठित/संगठित क्षेत्र के लिए आतिथ्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम चलाता है । इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों (सीआईएचएम), राज्य होटल प्रबंधन संस्थानों (एसआईएचएम), पाक कला संस्थानों (एफसीआई), राज्य पर्यटन विभागों/ विकास निगमों, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), भारतीय कलीनरी संस्थान (आईसीआई), अन्य सरकारी संस्थानों और सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संस्थानों के माध्यम से किया जाता है ।

सीबीएसपी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कौशल, पुन:कौशल और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है : -

(i) हुनर से रोजगार तक (एचएसआरटी) (कौशल कार्यक्रम) :- सीबीएसपी योजना के अंतर्गत 'हुनर से रोजगार तक' कार्यक्रम कौशल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मंत्रालयों के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुरूप हैं । यह कार्यक्रम वर्तमान में आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में कुल ग्यारह अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है ।

(ii) उद्यमिता कार्यक्रम (कौशल उन्नयन) :- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु बिजनेस स्टार्ट-अप्स की सहायता करना है ।

(iii) कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन (पुन: कौशल) :- यह कार्यक्रम मौजूदा सेवाप्रदाताओं की परीक्षा लेकर उन्हें चार आतिथ्य ट्रेड्स में प्रमाणन प्रदान करने के लिए है ।

(iv) पर्यटन एडवेंचर पाठ्यक्रम (पुनः कौशल) :- इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र आधारित विशेष रूप से संरचित एडवेंचर कौशल के संवर्धन के लिए युवाओं में क्षमता विकास करना है ।

(v) भाषायी पर्यटक सुविधाप्रदाता (कौशल उन्नयन) :- विभिन्न विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति का सृजन करना ।

(vi) पर्यटन जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम :- यह कार्यक्रम मौजूदा सेवाप्रदाताओं के लिए आयोजित किया जाता है ।

(vii) गंतव्य आधारित कौशल विकास :- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी पर्यटक सेवाप्रदाताओं विशेष रूप से पर्यटन स्थलों और गंतव्यों के आस-पास रहने वाले लोगों का संवेदीकरण, उन्नयन और क्षमता निर्माण करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है ।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

*****

अनुबंध

पर्यटन क्षेत्र में लोगों को कुशल बनाने हेतु कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 13.03.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †1875 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (31 जनवरी, 2023 तक) के दौरान तमिलनाडु राज्य में प्रशिक्षित/प्रमाणित व्यक्तियों का विवरण ।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित/प्रमाणित व्यक्तियों की सं.
1	2019-20	2726
2	2020-21	2267
3	2021-22	2538
4	2022-23 (31 जनवरी, 2023 तक)	1896
	कुल	9427

*****